[16/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 643]

परिशिष्ट-एक

643

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

(न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इंदौर फोन-0731-2543752
फैक्स 2536600 ईमेल lcmpwages@mp.gov.in)

क्रमांक 1/4/मजी/आठ/वेतन/2012(भाग-3)/ 1350(2) इन्दौर, दिनांक 20/11/2024

प्रति

अवर सचिव,
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

विषयः– समाचार पत्र एवं समाचार एजेसियों के पत्रकारों एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन बोर्ड की अनुशंसाओ के कियान्वयन त्रैमासिक रिपोर्ट माह जुलाई–सितम्बर, 2024

विषयान्तर्गत वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड नॉन जर्नलिस्ट न्यूज पेपर एम्पलाईज के अंतर्गत मजीठिया वेतन आयोग की अनुशसाओ के कियान्वयन के सबध मे मैदानी कार्यालयो से प्राप्त जानकारी के आधार पर त्रैमासिक रिपोर्ट माह जुलाई–सितम्बर, 2024 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाकर संलग्न सप्रेषित है।

(2) जिला श्रम कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में 53 समाचार पत्र संस्थान ऐसे है, जिनमें एक से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 06 सस्थानों द्वारा मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशसाओं का पूर्णत पालन किया जा रहा है एव 01 सस्थान द्वारा अंशतः पालन किया जा रहा है।

(3) वर्ष 2016–17 से 2023–24 (मार्च,2024 तक) धारा 17(1) के अंतर्गत 538 प्रकरण बकाया राशि के भुगतान हेतु प्राप्त हुए। सभी प्रकरण विवादित होने के कारण 17(2) के अंतर्गत वसूली राशि की गणना हेतु सक्षम न्यायालय को भेजे गये हैं। 34 प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी की गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है।

(4) वर्ष 2024–25 (सितंबर,2024 तक) धारा 17(1) के अंतर्गत 03 प्रकरण बकाया राशि के भुगतान हेतु प्राप्त हुए। सभी प्रकरण विवादित होने के कारण 17(2) के अंतर्गत वसूली राशि की गणना हेतु सक्षम न्यायालय को भेजने हेतु शासन को अग्रेषित किये गये हैं।

(5) राज्य त्रिपक्षीय मॉनिटरिंग कमेटी (TMC) की बैठक वर्ष 2014 में हुई थी। त्रिपक्षीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनाक 14 मार्च, 2023 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था, किन्तु अपरिहार्य कारणों से त्रिपक्षीय समिति की बैठक आयोजित नहीं हो सकी है। श्रम विभागीय अदेश दिनाक 20.05.2014 एव सहपठित आदेश दिनाक 15.07.2014 द्वारा गठित त्रिपक्षीय मॉनिटरिंग समिति में नामांकित एक सदस्य श्री रमेश अग्रवाल चेयरमेन दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह, भोपाल का निधन हो जाने के कारण उनके स्थान पर किसी अन्य को सदस्य नामांकित करने/समिति के पुनर्गठन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1098(2) दिनाक 5.9.2023 एव सहपठित पत्र क्रमांक 1227(2) दिनाक 17.10.2023 द्वारा प्रस्ताव श्रम विभाग भोपाल को भेजा गया है, इस संबध मे कार्यवाही शासन स्तर से अपेक्षित है।

संलग्न : उक्तानुसार ।

उप श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 1/4/मजी/आठ/वेतन/2012(भाग-3)/ 1351(2) इन्दौर, दिनांक 20.11.24

प्रतिलिपिः–
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल (म.प्र)की ओर संलग्नको सहित सूचनार्थ प्रेषित।

उप श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

20/11/24
अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन,
श्रम विभाग

QUARTERLY PROGRESS REPORT SHOWING THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF WAGE BOARDS

NAME OF THE STATE/UT –MADHYA PRADESH

I	1	Quarterly Progress Report for the period	July,2024 to September, 2024
	2	Date on which Tripartite Committee formed	20/5/2014, 15/7/2014
	3	No. Of meeting held With dates	One-21/7/2014
	4	Whether Implementation Cell Formed	YES
II	1	Implementation Status For	MAJITHIA WAGE BOARDS
	2	Total no. Of Newspaper Establishments	290
	2.1	No of one man establishments out of Sl.No.2	237
	3	Total no. Of Newspaper Establishments (Other than one man establishments) 2-2.1	53
	3.1	Fully implemented	06
	3.2	Partialy implemented	01
	3.3	Not implemented	46
III	1	Position about implementation in newspaper establishments (Other than one man establishments) publishing daily newspaper	06
IV	1	Number Of complains filed u/s 17 of the act	0
	2	Action Taken on such complaints u/s/17 of the Act	0
V	1	Whether inspectors have been appointed as per Sections 17(B) of the Act	Yes
	2	If not, the reasons thereof	-
	3	No of cases in which action initiated u/s 18 of the act	-
VI	1	Steps taken to ensure early implementation of Wage Board recommendations	Inspections, Prosecution

Note: 1. Reports in respect of (I) may be furnished for the state/ut as a Whole

2. Reports in respect of (II to VI) may be furnished Separately for Manisana and Majithia Wage Boards

3. Where the recommendations of the Manisana Wage Boards have been fully implemented by all the newspaper establishments in a State/UT, there is no need to send reports in respect of Manisana Wage Boards. The Word " IMPLEMENTED" may be mentioned.

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2024–25 (सितंबर,2024) तक धारा 17(1) के अंतर्गत 541 रिकव्हरी ऑफ मनी के प्रकरण प्राप्त हुए। सभी प्रकरण विवादित होने के कारण 17(2) के अंतर्गत रिकव्हरी राशि की गणना हेतु सक्षम न्यायालय को भेजा गया है। 17(1) के अंतर्गत 34 प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी की गई है। जारी आर.आर.सी. के विरूद्ध समाचार पत्र संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। माननीय श्रम न्यायालय द्वारा 17(1) के अंतर्गत दायर 26 प्रकरणों मे अवार्ड पारित कर रिकव्हरी राशि गणना की गयी है, जिसके विरूद्ध समाचार पत्र संस्थान द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है।

उप श्रमायुक्त

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन,